

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

द्वितीय तल्ला, इंजीनियरिंग हॉस्टल, सेक्टर-III, धुर्वा, राँची-834 004, दूरभाष संख्या-0651-2400749

पत्र संख्या-836 / ~~777~~ / स0क0 ।

प्रेषक,

मनोज कुमार (भा0प्र0से0)

निदेशक, समाज कल्याण ।

सेवा में,

सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक 30.04.2020 ई0 ।

विषय :- केन्द्र प्रायोजित योजना पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभुको को पूरक पोषाहार का वितरण आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा Home Delivery के माध्यम से करने के संबंध में ।

प्रसंग:- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड का आदेश ज्ञापांक-523 दिनांक-21.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि राज्य में COVID-19 को Epidemic Disease घोषित करने के फलस्वरूप प्रभावी लॉकडाउन के आलोक में 'पूरक पोषाहार कार्यक्रम' के अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को पूरक पोषाहार (HCM, Snacks, THR) उपलब्ध कराने के संदर्भ में प्रासंगिक ज्ञाप के माध्यम से सभी संबंधित पदाधिकारियों को विस्तृत निर्देश निर्गत है ।

ज्ञातव्य है कि वर्तमान में दिनांक- 03.05.2020 तक लॉकडाउन घोषित है । किन्तु उक्त महामारी के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए माह मई 2020 तक पूरक पोषाहार का वितरण लाभुकों को प्रासंगिक आदेश में वर्णित निर्देशों के आलोक में ही जारी रखना उचित ज्ञात होता है ।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि दिनांक 31.05.2020 तक वर्णित योजना का क्रियान्वयन उपरोक्त विभागीय आदेश के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार)

निदेशक, समाज कल्याण ।

ज्ञापांक- 836 / ~~777~~ / स0क0,

राँची, दिनांक: 30.04.2020 ई0 ।

प्रतिलिपि:- सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / -

निदेशक, समाज कल्याण ।

ज्ञापांक- 836 / ~~777~~ / स0क0,

राँची, दिनांक: 30.04.2020 ई0 ।

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं वंछित सम्पुष्टि संबंधी कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक, समाज कल्याण ।

ज्ञापांक- 836 / ~~777~~ / स0क0,

राँची, दिनांक: 30.04.2020 ई0 ।

प्रतिलिपि:- माननीया मंत्री के आप्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित ।

निदेशक, समाज कल्याण ।